

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गैलडा (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या : 65/2024

दायर दिनांक : 09/05/2024

निर्णय दिनांक : 22/01/2025

उनवान

1. चंद्रकला पत्नी मदनलाल योगी निवासी बूल तहसील भूपालसागर

प्रार्थीगण

बनाम

1. शंकरलाल पिता लालूराम जाट निवासी बूल तहसील भूपालसागर
2. भैरूनाथ पिता टोलीनाथ योगी निवासी बूल तहसील भूपालसागर
3. माधव पिता शंकरनाथ योगी निवासी बूल तहसील भूपालसागर
4. किशन नाथ पिता शंभूनाथ योगी निवासी बूल तहसील भूपालसागर
5. केसर कुंवर पत्नी करणसिंह राजपूत निवासी बूल तहसील भूपालसागर
6. योगेन्द्र नाथ पिता मोतीनाथ योगी निवासी बूल तहसील भूपालसागर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

: निर्णय :

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी की जाने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार प्रार्थीगण रेकार्डेड खातेदार है। अतः प्रार्थना पत्र व रेकार्ड के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भूपालसागर को 500- रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि **ग्राम बूल प० ह० बूल तहसील भूपालसागर के हल्के बैरूनी के खाता सं० 70 से दर्ज आराजी न० 723 रकबा 0.22 है० कुल किता 1 कुल रकबा 0.22 है०** भूमि में उभयपक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढी की कार्यवाही करे। अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खड़ी न हो तो ही पत्थरगढी की जावे एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। कमिश्नर फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं हो। इस आशय बाबत तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 22/01/2025 को खुले न्यायालय में सुनवाया गया।



(पुनीत कुमार गैलडा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर

